न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 64 / 2019 GCMS NO 2019/00153
दायर दिनांक :— 02 / 05 / 2019
निर्णय दिनांक :— 15 / 09 / 2020

1. श्री नारायण पिता भैरा माली, आयु वयस्क निवासी देवगढ तहसील देवगढ़,जिला राजसमंद
2. श्री मदनलाल पिता भैरा माली, आयु वयस्क निवासी देवगढ तह0 देवगढ़,जिला राजसमंद
3. श्रीमती मोहनी पिता भैरा माली, आयु वयस्क निवासी देवगढ तह0 देवगढ़,जिला राजसमंद
4. श्रीमती चांदी पिता भैरा माली आयु वयस्क निवासी देवगढ तह0 देवगढ, जिला राजसमन्द

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, देवगढ़

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2018 प्रकरण संख्या 08 / 2018 बअनवान नारायण सिंह व अन्य बनाम सरकार,

उपस्थित :—

1—श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2—श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम सालिया का खेडा, पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 339 / 3 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित होकर अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी हक में दर्ज थी । उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 27.03.2018 को किया गया। उक्त आराजी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.03.2018 को रिव्यु करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों को निरस्त करते हुए भूमि पुनः गैर खातेदारी हक से दर्ज करने सम्बन्धित आदेश दिनांक 15.11.2018 से पीडित होकर यह अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम सालिया का खेडा, पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 339 / 3 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित होकर अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 27.03.2018 को रिव्यु करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों को निरस्त करते हुए पुनः भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज करने सम्बन्धित आदेश दिनांक 15.11.2018 से पिडित होकर यह अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा

CK

5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व ग्राम सालिया का खेडा, पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 339/3 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित होकर अपीलान्ट के नाम पर गैर खातेदारी में दर्ज थी। अपीलान्ट ने अपने गैर खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 339/3 रकबा 3 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच करके तहसील देवगढ भिजवाया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के नाम पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 27.03.2018 को दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश की पालना में अपीलान्ट को खातेदारी में अमलदरामद किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का जो आदेश दिया उसे रिव्यु करने बाबत् दिनांक 28.10.2018 को सूचना पत्र दिया जिसमें सुनवाई की तारीख दिनांक 06.11.2018 नियत की गई। तहसीलदार देवगढ द्वारा दिनांक 28.10.2018 को जो सूचना पत्र अपीलान्ट को दिया है वह लगभग 07 माह पश्चात दिया गया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही दिनांक 15.11.2018 को आदेश पारित कर दिया गया। जबकि अपीलांट को खातेदारी अधिकार दिनांक 27.03.2018 को दिये गये तथा खातेदारी निरस्त करने का सूचना पत्र दिनांक 28.10.2018 यानि 07 माह के बाद दिया गया । जबकि नियमों में प्रावधान हैं कि किसी भी निर्णय को रिव्यू करने के लिये 30 दिन की समय सीमा निर्धारित कि हुई है। अपीलान्ट इस आराजी भूमि का खातेदार था और इस भूमि से सम्बन्धित समस्त खातेदारी अधिकार मुझ अपीलान्ट में निहित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद आराजी संख्या 339/3 का आदेश दिनांक 15.11.2018 को अपीलान्ट के नाम पर पुनः गैरखातेदारी से जो आदेश दिया है। वह अल्ट्रावायरस होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार देवगढ ने बिना आधार के मात्र लोगो की शिकायत को आधार बना कर तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में हुऐ प्रकाशन तथा बलॉक कॉग्रेस कमेटी की शिकायत को आधार मानकर पूर्व में पटवारी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच पर दिये खातेदारी अधिकार को निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। तहसीलदार को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का भी कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1. 2010 एलसीआई पेज 526
2. सुभाष चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 08.08.2011
3. आरआरटी 2011 पेज नम्बर 408
4. आरएलडब्लयू 2005 पेज 131
5. आरएलडब्लयू 2003 पेज 509
6. आरआरडी 2018 पेज 395
7. डीएनजे 2013 पेज 171
8. आरआरटी 2012 पेज 622
9. आरआरटी 2014 पेज 1220

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

10. आरआरटी 2007 पेज 13
11. डीएनजे 2018 पेज 1422

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस उक्तानुसार दृष्टान्त पेश करते हुये निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काबिल निरस्त है, तथा आदेश दिनांक 15.11.2018 निरस्त किया जाकर पुनःभूमि अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज फरमाई जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार देने की मूल पत्रावली एवं उसमें संलग्न हल्का पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार निरस्त करने की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि तहसीलदार,देवगढ़ द्वारा अपने अधिनस्थ राजस्व कार्मिकों – गिरदावर एवं पटवारी की जाँच रिपोर्ट के उपरान्त खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लेकर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के तत्पश्चात इस आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हुआ है। यहां पर उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि इस प्रकरण में आराजी भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने वाले राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी भी वहीं है जिन्होने खातेदारी अधिकारों का अंकन, प्रमाणन एवं स्वीकृत किया है। इस प्रकार गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार दिये जाने एवं उसमें राजस्व रेकार्ड में अंकन करने तक किसी प्रकार का संशय, भ्रम एवं विधि की अवहेलना करना प्रकट नहीं होती है। यहां तक विधि सम्मत प्रकिया अपनाई गई है। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है।

परन्तु इन्ही प्रकरणों में समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से शिकायत का जब तहसीलदार देवगढ को ज्ञात होता है तब उसके द्वारा जो कार्यावाही अपनाई गई है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। इसके अवलोकन एवं उभयपक्ष को सुनने एवं उनकी लिखित बहस का अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार देवगढ द्वारा आनन फानन में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहां पर यह विवेचन करना भी उचित होगा कि अगर तहसीलदार देवगढ को किसी माध्यम से अपने द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया पर संदेह होता तो उन्हे इस सम्बन्ध में उच्चतर राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी पेश करनी चाहिए थी। क्योंकि किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करना, इस प्रकरण में तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा इस प्रकरण में गैरखातेदारी को खातेदारी अधिकार दिये जाने से पहले हल्का पटवारी एवं सम्बन्धित गिरदावर से रिपोर्ट ली गई तथा तहसीलदार द्वारा जॉच कर सन्तुष्टी होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार देने का निर्णय पारित किया गया है। जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार का अंकन किया गया है। इस प्रकार इस आराजी में तहसीलदार देवगढ द्वारा उसी मूल गैरखातेदार को आनन फानन में , बिना किसी विधिक कारण के, बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये सम्मन जारी करके उसी के पक्ष में पुनः गैरखातेदारी दर्ज करदी गई है। उक्तानुसार समस्त प्रकिया विधि विरुद्ध एवं आरम्भ से शून्य होने के कारण तहसीलदार देवगढ का आदेश दिनांक 15.11.2018 आरम्भ से ही निष्प्रभावी है। यहां पर यह भी विवेचना का विषय है कि राजस्व रेकार्ड में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी विधिक आधार अथवा विधिक कारण कि आवष्यकता होती है। अर्थात् बिना किसी विधिक आधार एवं विधिक कारण के राजस्व रेकार्ड में किसी के खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चूंकि तहसीलदार देवगढ द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान एवं बिना किसी विधिक कारण के ही दिनांक 15.11.2018 को खातेदारी अधिकार समाप्त करके पुनः गैरखातेदारी अधिकार देने के जो आदेश दिये गये है, जो कि विधि का घोर उल्लंघन है। क्योंकि अपीलान्ट इस भूमि का खातेदार हैं। तथा दिनांक 27.03.2018 को उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिसे बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रावधान के तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार देवगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2018 अपास्त किये जाने योग्य है।

C/A

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2018 आरम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने के कारण निरस्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ लौटायी जावे।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 15.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द